(५)

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 10 / 2017

सरकार बनाम् श्योनन्द पुत्र बीरबलराम, जाति–जाट, निवासी– कुलोठ कलां

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 03.03.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल श्योनन्द पुत्र बीरबलराम, जाति–जाट, निवासी– कुलोठ कलां द्वारा रोही मौजा कुलोठ कलां की राजकीय भूमि ख.नं. 897 / 482 कुल रकबा 0.59 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 1465 वर्गमीटर भूमि पर तारबन्दी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० लें० स० 4 के पृष्ठ सं....39.......पर
वर्ष..2016-17....में रूपये....5/-.....कायम
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़